संख्या-20/2022/आई/220544/2022/फा0नं0-10-22099/220/2020

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2-समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 30 सितम्बर, 2022

विषय- 80 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त कर लेने वाले पारिवारिक पेंशनरों को अतिरिक्त पेंशन वृद्धि स्वीकृत करने हेतु पारिवारिक पेंशनरों की जन्मतिथि के निर्धारण/पुष्टि के सम्बन्ध में यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार संख्या (आधार कार्ड) को मान्यता प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 01.01.2006 से पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के सिविल पेंशनरों/ पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन के अभिनवीकरण/पुनरीक्षण के सम्बन्ध में निर्गत किये गये शासनादेश संख्या-सा-3-1541/दस-2008-308/ 97टी0सी0, दिनांक 19.01.2009 में प्रस्तर-1 का बिन्दु-(5) निम्नवत् है:-

> "(5) पेंशनरों की भांति पारिवारिक पेंशनरों को शासनादेश के अनुसार 80 वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त कर लेने पर अतिरिक्त पेंशन की सुविधा अनुमन्य है। सामान्यतया पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि पेंशन अभिलेखों में अंकित नहीं है, अतएव समस्त पेंशनरो/पारिवारिक पेंशनरों द्वारा पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि के सम्बन्ध में अपने विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को अवगत कराया जायेगा। विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष अपने कार्यालय में अनुरक्षित अभिलेखों से इसका परीक्षण करेंगे। कार्यालय अभिलेख यथा सामान्य भविष्य निर्वाह निधि या अन्य प्रयोजन हेतु भरे गये नामांकन प्रपत्र अथवा पेंशन प्रपत्र में पारिवारिक पेंशनर की आयु से सम्बन्धित कोई विवरण उपलब्ध मिलता है, तो उसे ही मान्यता प्रदान की जाएगी और तदनुसार कोषागार को उपलब्ध करायेंगे। मात्र आयु का उल्लेख होने पर, (जन्मतिथि का उल्लेख न होने की दशा में), उस वर्ष की 01 जुलाई को जन्मतिथि माना जायेगा। उपर्युक्त अभिलेखों में आयु का उल्लेख न होने पर पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि हेतु हाई स्कूल प्रमाण-पत्र और यदि हाई स्कूल प्रमाण-पत्र उपलब्ध न हो तो ऐसे पारिवारिक पेंशनरों की जन्मतिथि हेतु ड्राइविंग लाइसेन्स/पैन कार्ड/निर्वाचन पहचान पत्र में अंकित जन्मतिथि, यदि कोई हो, को मान्यता दी जायेगी।....."

2- पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय-ज्ञापन संख्या-1/19/11-पी एण्ड पीडब्ल्यू(ई) दिनांक 03.08.2011 द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (Unique Identification Authority of India-UIDAI) द्वारा जारी आधार संख्या को भी पारिवारिक पेंशनरों की आयु के वैध साक्ष्य के रूप में मान्यता प्रदान की गयी है।

2/

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

3- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पारिवारिक पेंशनरों को अतिरिक्त पेंशन वृद्धि स्वीकृत करने हेतु पारिवारिक पेंशनरों की जन्मतिथि/आयु के निर्धारण/पुष्टि के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-सा-3-1541/दस-2008-308/ 97टी0सी0, दिनांक 19.01.2009 में प्रस्तर-1 के बिन्दु-(5) में उल्लिखित अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ ही भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (Unique Identification Authority of India-UIDAI) द्वारा जारी आधार संख्या (आधार कार्ड) को भी पारिवारिक पेंशनरों की आयु/ जन्मतिथि के वैध साक्ष्य के रूप में एतद्वारा मान्यता प्रदान की जाती है।

शासनादेश दिनांक 19.01.2009 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। शासनादेश दिनांक 19.01.2009 की शेष व्यवस्थाएं यथावत् रहेंगी।

भवदीय,

प्रशान्त त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान परिषद सचिवालय, लखनऊ।
4- निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- समस्त मण्डलीय अपर/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।
7- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
8- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।